



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 02.06.2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 478/22 धारा 420/406 भादवि में धोखाधडी करके पीडिता से मुकदमे में कार्यवाही कराने के नाम पर रुपये लेने वाले सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.06.22 को वादिया श्रीमती इकरा पत्नी शाहिद निवासी विजय नगर -2 कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने अभियुक्त पत्रकार निखिल त्यागी पुत्र जे0पी0 त्यागी निवासी शताब्दी नगर

निकट एल0आई0सी0 कस्बा व थाना बडौत पर अपने पति वसीम के साथ चल रहे मुकदमेबाजी में मदद करने को लेकर वादिया से दिनांक 05.01.2022 को 80000/- रुपये लिए थे । इस सम्बन्ध में अभियुक्त पत्रकार निखिल त्यागी की रिकार्डिंग वादिया इकरा द्वारा दी गई । अभियुक्त पत्रकार निखिल त्यागी द्वारा अपने न्यूज चैनल पर वादिया के पति के मुकदमें के



सम्बन्ध में न्यूज चलाने तथा अधिकारियों से मदद कराने की बात वादिया इकरा से कही गई । उक्त पत्रकार अभियुक्त निखिल त्यागी द्वारा वादिया इकरा से धोखाधडी कर मुकदमे में मदद के नाम पर 80000/- रुपये लिए है तथा मांगने पर नही लौटाये है । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 478/22 धारा 420/406 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 478/22 धारा 420/406 भादवि में धोखाधडी करके पीडिता से मुकदमे में कार्यवाही कराने के नाम पर रुपये लेने वाले सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-निखिल त्यागी पुत्र जे0पी0 त्यागी निवासी शताब्दी नगर निकट एल0आई0सी0 कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- व0उ0नि0 श्री शिवदत्त थाना बडौत
- 2- उ0नि0 श्री नरेशचन्द यादव थाना बडौत
- 3- का0 814 अमित नागर थाना बडौत
- 4- का0 990 जितेन्द्र थाना बडौत



**प्रेस नोट
थाना छपरौली**

दिनांक 02-

06-2022

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 120/22 धारा 366 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 120/22 धारा 366 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि०- श्री सत्यम जंघाला ।
- 2-का०- 908 योगेश कुमार ।

3-म0का0 518 बीना ।



प्रेस नोट
थाना

बिनौली

दिनांक 02.06.2022

थाना बिनौली पुलिस ने पुलिस मुठभेड में एक हिस्ट्रीटर/जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा व एक जिंदा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक हिस्ट्रीटर/जिलाबदर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- गिरफ्तार अभियुक्त उपेन्द्र थाना बिनौली का हिस्ट्रीशीटर/जिलाबदर अपराधी है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-उपेन्द्र पुत्र कृष्णपाल निवासी धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा व एक जिंदा कारतूस ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त उपेन्द्र उपरोक्त (HS-N- 191/ए)

1- मु0अ0सं0 01/16 धारा 392/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2- मु0अ0सं0 05/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3- मु0अ0सं0 06/16 धारा 411/414 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

4- मु0अ0सं0 39/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

- 5- मु0अ0सं0 1177/15 धारा 392 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 6- मु0अ0सं0 349/16 धारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0 279/18 धारा 03/10 यूपी गुण्डा एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 226/20 धारा 307 भादवि (पु0मु0) थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 9-मु0अ0सं0 227/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 10-मु0अ0सं0 1039/15 धारा 393 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 11-मु0अ0सं0 11/16 धारा 392 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 12-मु0अ0सं0 311/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 13-मु0अ0सं0 307/16 धारा 147/148/452/307 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 14-मु0अ0सं0 135/22 धारा 307 भा.द.वि (पु0 मु0) थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 15-मु0अ0सं0 136/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 16-मु0अ0सं0 137/22 धारा 3/10 यूपी गुण्डा एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आरिफ अब्बास थाना बिनौली

- 2-का0 171 सोहनपाल थाना बिनौली
3-का0 632 विपिन कुमार थाना बिनौली
4-का0 1002 तरुण कुमार थाना बिनौली
5-का 195 मनोज शर्मा थाना बिनौली



प्रेस नोट
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 02.06.22

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0
286/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 02
अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना



कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 286/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1.शाहरूख उर्फ बहरा पुत्र जमील निवासी पुराना कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
2. इरफान पुत्र जबरदीन निवासी पुराना कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उपनि0 श्री प्रियवृत् आर्य थाना कोतवाली बागपत
- 2.का0 234 दीपक कोतवाली बागपत
3. का0 243 मनोज कोतवाली बागपत



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 02-

06-2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-राजा पुत्र शराफत निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री नरेश चन्द यादव थाना बडौत ।
- 2- का0 814 अमित नागर थाना बडौत ।
- 3- का0 990 जितेन्द्र थाना बडौत ।